

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संस्कार द्वारा भरा जाएगा)

16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - ~~रीबी - मल्ला~~ ~~ग.एन.टी - मल्ला~~ ~~व.ग.डा.वा.ए.~~ ~~मल्ला~~ मुकुंदगढ़ मोहम्मद 2.065 हे

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र ~~उत्तराखण्ड~~

(ii) जिला ~~महाराष्ट्र~~

(iii) जिला वन प्रभाग ~~महाराष्ट्र वन प्रभाग महाराष्ट्र~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र ~~2.065 हे~~

17 पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति ~~आवृत्ति, डिप्लोमा एवं वन प्रशासन अधिनियम~~

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा ~~कोक, चीड़, काफल, बुरई, सुरई~~

(i) वन का प्रकार ~~डू-स-फोरेस्ट~~

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व ~~5~~

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - ~~संलग्न है~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का मुख्या ~~कोई नहीं~~

19 भूस्वाम्य के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण - ~~स्वाम्य की स्थापना नहीं~~

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी - ~~शून्य~~

21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता ~~बिना नहीं~~

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा ~~महत्वपूर्ण वन्य जीव नहीं~~

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अड्डावास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपाय किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाय की जाए) ~~नहीं~~

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाय की जाए) ~~नहीं~~

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्न आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाय की जाए) ~~नहीं~~

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे ~~नहीं~~

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातात्वीय या विशास स्थल या प्रतिक्रियात्मक स्थापना या कोई महत्वपूर्ण स्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाय किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्योरा दें) ~~नहीं~~

23 पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुविधावृत्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें ~~कोई नहीं~~

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~आवृत्ति एवं वन प्रशासन अधिनियम~~

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। ~~है~~

24. किए गए अतिक्रमण के ब्योरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है ~~हां/नहीं~~

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्गत वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही ~~नहीं~~

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है ~~हां/नहीं~~

25 क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति ~~डिप्लोमा एवं वन प्रशासन अधिनियम~~

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटिमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें। ~~नहीं~~

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 150,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। ~~है~~

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत सरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे सलग्न है (हा/प्रहरी)।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय सलग्न है

(vi) वया क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोण से पहचान कर गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संवद उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलग्न है (हा/प्रहरी)।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समावात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हा/प्रहरी)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रहरी की जा रही है

स्थान: अल्मोड़ा

तारीख: - 10-3-2015

प्रमाणित
प्रमोदीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा